संख्या-971/2026/2264/22-2-2025-17(1129)/2025

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश मिश्र,
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 17 जुलाई, 2026

विषय:- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी भरत सिंह पुत्र श्री बाबूलाल, निवासी-जनपद-फिरोजाबाद की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक (मु0) के पत्र सं0-41208/प्रो0-3-फार्म-ए/(एम-29.10.2025) दिनांक-04.11.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी भरत सिंह पुत्र श्री बाबूलाल, बसई, थाना-टूण्डला, जनपद-फिरोजाबाद का निवासी है। आपसी घरेलू विवाद की रंजिश को लेकर दिनांक 06.12.2010 की रात्रि को बन्दी ने अपनी पत्नी श्रीमती पूनम व पुत्र निखिल की हत्या कर दी, उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-276/2012 में भा0द0वि0 की धारा-302 के अन्तर्गत मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय-प्रथम, फिरोजाबाद के आदेश दिनांक 28.05.2024 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी की अपील मा0 उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है, बंदी द्वारा दिनांक 29.01.2025 तक अपरिहार 14 वर्ष 01 माह 21 दिन तथा 14 वर्ष 03 माह, 10 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है।

3- जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, फिरोजाबाद द्वारा शासनादेश संख्या 1658/22-02-2004-25(94)/97, दिनांक 06.09.2004 के प्रस्तर 9-(2) के प्राविधान के अनुरूप 05 बिन्दुओं (जो लक्ष्मण नारकर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, 2000 कि०एल० जे० 1471 में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया) पर परीक्षण कर आख्या प्रेषित की गई है। उक्त आख्या में बन्दी द्वारा स्वयं की पत्नी व पुत्र की निर्मम हत्या करने का जघन्य अपराध किया है, जो समाज में व्यक्ति विशेष को प्रभावित होने, भविष्य में पुनः अपराध कारित करने सम्भावना से इन्कार नहीं किये जाने, पुनः अपराध कारित करने में अशक्त नहीं होने, जेल में और आगे निरुद्ध रखना समाज हित में न्यायोचित होने, बन्दी के परिवार की सामाजिक, आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने के दृष्टिगत बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

शासनादेश संख्या-1292/22-02-2012-19जी/2012. दिनांक 02 नवम्बर, 2012 में दी गई व्यवस्था के प्रकिया के अनुसार प्रोबेशन बोर्ड द्वारा सिद्धदोष बंदी भरत सिंह पुत्र बाबूलाल की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई पर विचार-विमर्श किया गया। प्रकरण में आपसी घरेलू विवाद की रंजिश को लेकर दिनांक 06.12.2010 की रात्रि को बन्दी ने अपनी पत्नी श्रीमती पूनम व पुत्र निखिल की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्थानीय स्तर पर वर्तमान परिस्थितियों का सम्यक परीक्षण कर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रकरण से सम्बंधित ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नहीं है, जिसके आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार बन्दी की लगभग आयु 42 वर्ष होने तथा अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट-1938 की पारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी भरत सिंह पुत्र बाबूलाल को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

5- उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी भरत सिंह (बन्दी संख्या-20067) पुत्र श्री बाबूलाल, निवासी-जनपद-फिरोजाबाद के फार्म-ए/लाईसेंस पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट,1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए/लाईसेंस पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
सूर्य प्रकाश मिश्र
संयुक्त सचिव।

संख्या-971/2026/2264(1)/22-2-2025 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, जनपद-फिरोजाबाद।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।
3- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-971/2026/2264/22-2-2025-17(1129)/2025

दिनांक 17 जुलाई, 2025 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी भरत सिंह पुत्र श्री बाबूलाल, बसई, थाना-टूण्डला, जनपद-फिरोजाबाद का निवासी है। आपसी घरेलू विवाद की रंजिश को लेकर दिनांक 06.12.2010 की रात्रि को बन्दी ने अपनी पत्नी श्रीमती पूनम व पुत्र निखिल की हत्या कर दी, उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-276/2012 में भा0द0वि0 की धारा-302 के अन्तर्गत मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय-प्रथम, फिरोजाबाद के आदेश दिनांक 28.05.2024 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी की अपील मा0 उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है, बंदी द्वारा दिनांक 29.01.2025 तक अपरिहार 14 वर्ष 01 माह 21 दिन तथा 14 वर्ष 03 माह, 10 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है।

जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, फिरोजाबाद द्वारा शासनादेश संख्या 1658/22-02-2004-25(94)/97, दिनांक 06.09.2004 के प्रस्तर 9-(2) के प्राविधान के अनुरूप 05 बिन्दुओं (जो लक्ष्मण नारकर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, 2000 कि०एल० जे० 1471 में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया) पर परीक्षण कर आख्या प्रेषित की गई है। उक्त आख्या में बन्दी द्वारा स्वयं की पत्नी व पुत्र की निर्मम हत्या करने का जघन्य अपराध किया है, जो समाज में व्यक्ति विशेष को प्रभावित होने, भविष्य में पुनः अपराध कारित करने सम्भावना से इन्कार नहीं किये जाने, पुनः अपराध कारित करने में अशक्त नहीं होने, जेल में और आगे निरुद्ध रखना समाज हित में न्यायोचित होने, बन्दी के परिवार की सामाजिक, आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने के दृष्टिगत बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

शासनादेश संख्या-1292/22-02-2012-19जी/2012, दिनांक 02 नवम्बर, 2012 में दी गई व्यवस्था के प्रकिया के अनुसार प्रोबेशन बोर्ड द्वारा सिद्धदोष बंदी भरत सिंह पुत्र बाबूलाल की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई पर विचार-विमर्श किया गया। प्रकरण में आपसी घरेलू विवाद की रंजिश को लेकर दिनांक 06.12.2010 की रात्रि को बन्दी ने अपनी पत्नी श्रीमती पूनम व पुत्र निखिल की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्थानीय स्तर पर वर्तमान परिस्थितियों का सम्यक परीक्षण कर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रकरण से सम्बंधित ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नहीं है, जिसके आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार बन्दी की लगभग आयु 42 वर्ष होने तथा अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट-1938 की पारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी भरत सिंह पुत्र बाबूलाल को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा बंदी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

सूर्य प्रकाश मिश्र
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।